जए समाज की ओर
Towards a new dawn

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, डीग
Email ID – DEEG.WE@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक म.अ. / 2026 / 762 दिनांकः– 09/06/2026

विज्ञप्ति

जिला डीग में पुलिस सर्किल डीग के पुलिस थाना–कोतवाली, पुलिस सर्किल नगर के पुलिस थाना– नगर व पुलिस सर्किल कामां के पुलिस थाना– कामां में महिला सुरक्षा सलाह केन्द्रों (कुल 03 केन्द्र) के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2024 दिनांक 18.09.2024 एवं निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर के राजकाज रैफरेन्स नम्बर 13542346 दिनांक 13.02.2025 में वर्णित पात्रताधारी गैर–शासकीय संस्थाओं से दिनांक 08.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, श्रीराम गैस एजेंसी के पीछे नगर रोड, डीग में जमा करवाये जा सकते है। इससे सम्बन्धित आवेदन प्रपत्र, पात्रता की शर्ते तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाईट **www.wcd.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

(राजेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
डीग

क्रमांकः–मअ / 2026–27 / 763 –768 दिनांकः– 09/06/2026

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् आयुक्त, महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, डीग
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, डीग ।
4. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के 01 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में अनुमोदित दरों पर न्यूनतम स्पेस में करवा कर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें।
5. प्रोग्रामर निदेशालय महिला अधिकारिता राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय कलैक्ट्रेट / जिला परिषद / कार्यालय हाजा पर चस्पा हेतु।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
डीग

Scanned with OKEN Scanner

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु आवेदन प्रपत्र

(महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित)–2024 दिनांक 18.09.2024 एवं निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर के राजकाज रैफरेन्स नम्बर 13542346 दिनांक13.02.2025 के अन्तर्गत)

श्रीमान सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता,
जिला डीग।

विषय :– पुलिस थाना– कोतवाली, नगर व कामां में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु आवेदन–पत्र।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था पुलिस सर्किल डीग के पुलिस थाना–कोतवाली/पुलिस सर्किल नगर के पुलिस थाना– नगर/पुलिस सर्किल कामां के पुलिस थाना– कामां जिला डीग में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन करने की इच्छुक है। संस्था का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:–

संस्था द्वारा जिस केन्द्र हेतु आवेदन किया गया है उसका नाम...

(क) संस्था का परिचय

संस्था का नाम	
रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं संख्या	प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
संस्था का पंजीकृत कार्यालय– पूर्ण, पता	
संस्था का संविधान	प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
संस्था की कार्यकारिणी	प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
टेलीफोन व मोबाईल नम्बर	
ई–मेल, यदि हो	
वेबसाईट, यदि हो	
स्थानीय कार्यालय का विवरण	
संस्था का पूर्ण पता	

Scanned with OKEN Scanner

टेलीफोन व मोबाईल नम्बर	
ई–मेल, यदि हो	
स्थानीय सम्पर्क सूत्र का विवरण	
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	
प्राधिकृत व्यक्ति का पूर्ण पता	
टेलीफोन व मोबाईल नम्बर	
ई–मेल, यदि हो	
प्राधिकृत व्यक्ति को अधिकृत करने के प्राधिकार पत्र की प्रति	प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(ख) संस्था के कार्य एवं अनुभवः–

संस्था का कार्यक्षेत्र।	प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
संस्था के मूल उद्देश्य।	प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
संस्था द्वारा अब तक जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है उसका पूर्ण विवरण।	विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है।
संस्था द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण।	विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है।
संस्था द्वारा व्यथित महिलाओं को परामार्श और मार्गदर्शन के क्षेत्र में कार्य का विस्तृत विवरण।	विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है।
घरेलू हिंसा के क्षेत्र में कार्य का विवरण।	विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है।

नोट :– विस्तृत सूचना के लिए बिन्दुवार अलग से शीट संलग्न की जा सकती है।

(ग) संस्था की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थाः–

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr>
<td>संस्था द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र पर नियोजित की जाने वाली कार्मिकों (सामाजिक परामर्शदाता एवं विधि परामर्शदाता) का विवरण</td>
<td>
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>नाम</th><th>पद</th><th>शैक्षणिक योग्यता</th><th>अनुभव</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था की गत तीन वित्तीय वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट (सीए द्वारा प्रमाणित)</td>
<td>गत तीन वित्तीय वर्षों (2022–2023, 2023–2024 एवं 2024–2025) के वार्षिक टर्नओवर के सीए द्वारा अंकेक्षित मय यूडीआइएन रिसीप्ट एवं पैमेंट/लाभ–हानि/आय–व्यय की सम्बन्धित आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था को किसी विभाग/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण आदि द्वारा विगत 03 वर्षों में डिफॉल्टर/ ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया हो तथा संस्था द्वारा राजस्थान राज्य के 03 व 03 से अधिक जिलो में वर्तमान में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था का घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के रूप में पंजीयन अथवा घोषणा।
(आवेदन के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार)</td>
<td>इस बाबत राशि 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित मूल शपथ–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। (आवेदन के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार)</td>
</tr>
</table>

नोट :– आवेदनकर्ता संस्था यदि 01 से अधिक केन्द्रों के लिए आवेदन करती है तो उसे प्रत्येक केन्द्र के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा दस्तावेज संलग्न करने होंगे। राशि 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित मूल शपथ–पत्र प्रत्येक आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....

(संस्था का नाम) के संबंध में प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाऐं, जहां तक जानकारी है, सही और तथ्यों पर आधारित है।

हम संस्था के निम्न पदाधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित)–2024 दिनांक 18.09.2024 एवं निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर के राजकाज रैफरेन्स नम्बर 13542346 दिनांक 13.02.2025 में दी गई शर्तों एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों/आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा तथा उनके अनुसरणों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का संचालन किया जायेगा। यदि कार्य की अवधि में संस्था द्वारा संपादित कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो राज्य सरकार/विभाग संस्था के साथ संपादित अनुबन्ध एवं जारी कार्यादेश को निरस्त कर सकेगा

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)	हस्ताक्षर (सचिव/कोषाध्यक्ष)
नाम	नाम
पता/टेलीफोन नं.	पता/टेलीफोन नं.

स्थान :–

दिनांक :–

Scanned with OKEN Scanner

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित)–2024 दिनांक 18.09.2024 एवं निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर के राजकाज रैफरेन्स नम्बर 13542346 दिनांक 13.02.2025 के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 AA में अथवा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।
2. संस्था का बिन्दु संख्या 01 के अनुसार पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि में संस्था नियमित रूप से सामाजिक कार्यकलापों से जुड़ी होनी चाहिए।
3. उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला सुरक्षा एवं सहायता तथा महिला विकास एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हों।
4. किसी भी संस्था द्वारा किसी जिले में 10 से ज्यादा केन्द्रो की स्थिति में अधिकतम 03 एवं 10 से कम केन्द्रो की स्थिति में अधिकतम 02 केन्द्रो के संचालन की अनुमति होगी।
5. एक संस्था द्वारा अधिकतम 03 जिलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रो का संचालन किया जा सकेगा।
6. यदि किसी संस्था ने पूर्व में भी महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र पर कार्य किया है तो उस जिले के उप/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता से कार्य का संतोषजनक प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

संस्था के चयन के मापदण्ड़–

1. संस्था महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित)–2024 एवं निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर के राजकाज रैफरेन्स नम्बर 13542346 दिनांक 13.02.2025 के अन्तर्गत महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन की पात्रता रखती हो।
2. संस्था घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम–2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सेवाप्रदाता के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए अथवा किसी भी संस्था के द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु अनुबंध संपादित करने के उपरान्त यथा शीघ्र अथवा अधिकतम 6 माह के अंदर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में पंजीयन कराना आवश्यक व अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर संस्था के साथ निष्पादित अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
3. संस्था का महिला विकास और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में यथेष्ठ कार्यानुभव हो।
4. संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी हो।

Scanned with OKEN Scanner

5. संस्था के पास महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र चलाने के लिए 02 प्रशिक्षित/अनुभवी/योग्य महिला कर्मचारी हो अथवा ऐसे महिला कर्मी नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो और संस्था की ऐसे महिला कर्मियों को नियुक्ति देने की क्षमता हो। प्रथम परामर्शदाता का समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में आवश्यक रूप से स्नातकोत्तर एवं द्वितीय परामर्शदाता का विधि स्नातक होना अनिवार्य है।
6. आवेदन के साथ परामर्शदाताओं की सूची संलग्न करना आवश्यक होगा।
7. संस्था महिलाओं के हित में कार्य करने के योग्य हो।
8. अन्य अर्हताऐं जो विहित की जाये।

Scanned with OKEN Scanner

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) – 2024 दिनांक 18.09.2024 एवं निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर के राजकाज रैफरेन्स नम्बर 13542346 दिनांक 13.02.2025 के अन्तर्गत अन्य शर्ते निम्नानुसार है :–

1. चयनित संस्था महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित)– 2024 एवं उसके अनुक्रम में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का संचालन करेगी।
2. चयनित संस्था ऐसे व्यक्तियों को परामर्शदाता के रूप में चयन करेगी जो योजना के निर्देशों के अनुरूप तथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के संचालन हेतु प्रशिक्षित/अनुभवी/योग्य महिला हों एवं परामर्शदाता के रूप में अनुभवी हों।
3. यदि चयनित संस्था द्वारा नियमानुसार केन्द्र का संचालन करना नहीं पाया गया अथवा उसे कार्य के लिए किसी कारण से भविष्य में अनुपयुक्त पाया गया तो उसे केन्द्र संचालन से विमुक्त किया जा सकेगा।
4. चयनित संस्था को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशाधित)– 2024 एवं समय–समय पर निदेशालय महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
5. यदि किसी कारण वश चयनित संस्था केन्द्र संचालन में असमर्थ रहती है तो अनावर्तक मद में इस कार्यालय द्वारा क्रय किया गया सामान सम्बन्धित थाना प्रभारी को संभलाया जाएगा, जिसका उपयोग उस केंद्र हेतु चयनित अन्य संस्था द्वारा किया जा सकेगा।
6. जहां तक संभव होगा चयनित संस्था को केन्द्र संचालन के लिए स्थान व अन्य सुविधाऐं थाना परिसर में उपलब्ध कराई जायेगी।
7. संचालन अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी जिसमें जिला स्तरीय महिला समाधान समिति के निर्णयानुसार नियमानुसार अभिवृद्धि की जा सकेगी।
8. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित)– 2024 की शर्तों/निर्देशों, समय–समय पर जारी विभागीय आदेशों/निर्देशों, वित्तीय अनियमितता, असंतोषप्रद सेवा, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की/व्यथितों की आदि की गोपनीयता भंग करने की दशा में संस्था का अनुबंध किसी भी समय समाप्ति का अधिकार जिला स्तरीय महिला समाधान समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
9. पात्र संस्था का चयन जिला स्तरीय महिला समाधान समिति द्वारा किया जायेगा।
10. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र डीग होगा।
11. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय महिला समाधान समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
12. चयनित संस्था द्वारा परामर्शदाताओं को मानदेय भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में करना होगा। किसी भी परिस्थिति में परामर्शदाता को नगद् भुगतान नहीं किया जावेगा। भुगतान के साक्ष्य के रूप में बिल के साथ बैंक खाता स्टेटमेंट संलग्न करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

13. चयनित संस्था द्वारा परामर्शदाताओं का चयन योजना की गाईडलाईन के अनुसार करते हुए उनके प्रमाणित दस्तावेज कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे, साथ ही केन्द्र पर संस्था द्वारा लगाये गये परामर्शदाताओं द्वारा स्वयं कार्य छोड़ने अथवा संस्था द्वारा हटाये जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करते हुए 03 दिवस में नवीन परामर्शदाताओं का चयन कर सम्बन्धित के प्रमाणित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा घोषणा–पत्र

(50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मूल शपथ–पत्र प्रत्येक आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मेरी/हमारी संस्था को किसी विभाग/बोर्ड/ निगम/प्राधिकरण आदि द्वारा विगत 03 वर्षों में डिफॉल्टर/ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।

साथ ही मैं/हम यह घोषणा करते है, कि मेरे/हमारे पर किसी भी न्यायालय मे सेवा प्रदाता कार्य के सन्दर्भ मे कोई वाद लम्बित नही है तथा इस विषयांतर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्ड़ित नही किया गया है।

संस्था द्वारा राजस्थान राज्य के 03 व 03 से अधिक जिलों में वर्तमान में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रो का संचालन नहीं किया जा रहा है।

संस्था घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम–2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सेवाप्रदाता के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए अथवा किसी भी संस्था के द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु अनुबंध संपादित करने के उपरान्त यथा शीघ्र अथवा अधिकतम 6 माह के अंदर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में पंजीयन कराना आवश्यक व अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर संस्था के साथ निष्पादित अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

दिनांकः–

Ryb

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता –

संस्था का नाम –

Scanned with OKEN Scanner